बिहार सरकार

<u>विधि विभाग</u>

ज्ञाप संख्या-CBI-01/~~2013~~ 2008.....जे0, पटना, दिनांक.....

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषयः- **अधिवक्ता मो0 सलाहउद्दीन खाँ, विशेष लोक अभियोजक, भागलपुर साम्प्रदायिक दंगा काण्ड का एक विपत्र जिसकी कुल राशि-5,64,040/-(पाँच लाख चौंसठ हजार चालीस) रुपये मात्र की स्वीकृति**

आदेशः- **स्वीकृत।**

2. यह व्यय बजट शीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, लघु शीर्ष-114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता (कॉउन्सिल)-उपशीर्ष-0003-सरकारी मुकदमों के अन्तर्गत-2801-व्यावसायिक और विशेष सेवायें में **वित्तीय वर्ष 2013-2014** में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. राशि की निकासी **अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,** विधि विभाग, बिहार, पटना द्वारा की जायेगी।

4. प्रस्ताव में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

5. इस शीर्ष की **मांग संख्या-27** एवं विपत्र कोड-**एन-2014001140003** है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-संजय कुमार
सरकार के अवर सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-...../जे0, पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपिः-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-संजय कुमार
सरकार के अवर सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-...../जे0, पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपिः-**अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,** विधि विभाग, बिहार, पटना एवं विभागीय लेखा शाखा को (विपत्र की दो अतिरिक्त प्रति के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-संजय कुमार
सरकार के अवर सचिव, बिहार।

ज्ञाप संख्या-04...../जे0, पटना, दिनांक-03/01/14

प्रतिलिपिः-विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संजय कुमार 2.1.14
(संजय कुमार)
~~सरकार~~ 31/12/13 के अवर सचिव, बिहार।